

राजस्थान सरकार
(जल संसाधन विभाग)

क्रमांक: 29/भू0अ0/ज0सा0/2013 पार्ट II/

दिनांक

कार्यालय आदेश

ईसरदा बांध परियोजना के डूब क्षेत्र के ग्राम ईसरदा, रायपुर, सोलपुर, एवं चौकड़ी तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर की अवाप्त की जाने वाली भूमि के निमित्त, भूमि अर्जन, पुनर्वासन, पुनर्व्यरूपापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 की घोषणा की समय सीमा में भूमि अवाप्ति अधिकारी बीसलपुर परियोजना देवली के पदस्थापन के अभाव में धारा 23 के अन्तर्गत मुआवजा भुगतान का अधिनिर्णय नही होने के कारण धारा-25 के तहत 6 माह, दिनांक 27.10.2018 तक, बढ़ाये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती हैं।

आज्ञा से,

६०

उप सचिव एवं प्रावै0सहायक,
वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: 29/भू0अ0/ज0सा0/2013 पार्ट II/1811-1815 दिनांक: 24/4/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

- 1-जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर।
- 2-अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, जयपुर।
- 3-अधीक्षण अभियन्ता, ईसरदा परियोजना वृत्त, टोंक।
- 4-अधिशाषी अभियन्ता, ईसरदा परियोजना खण्ड, ईसरदा।
- 5-भूमि अवाप्ति अधिकारी (अतिरिक्त कलेक्टर (पुनर्वासन) बीसलपुर परियोजना देवली।

उप सचिव एवं प्रावै0सहायक,
वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन
राजस्थान, जयपुर।